



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

संशोधन पत्र

प्रति,

मेसर्स एस.एन.एस., (मिनिरल्स) प्रा. लि.
श्री हिमान्यु कोठारी कार्यपालन संचालक,
पता एन.एच.-7 रीवा रोड, पोस्ट मैहर
जिला सतना (म.प्र.)- 485771

No.: 3108 /SEIAA/23

Date: 17/3/23

विषय: प्रकरण क्र. 664/2012 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एन.एस., (मिनिरल्स) प्रा. लि. श्री हिमान्यु कोठारी कार्यपालन संचालक, पता एन.एच.-7 रीवा रोड, पोस्ट मैहर जिला सतना (म.प्र.)- 485771, द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 55,000 टन प्रतिवर्ष से 5,00,000 टन प्रतिवर्ष रकबा 42.567 हेक्टेयर, खसरा ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन।


संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 773वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 675 वीं बैठक दिनांक 08.04.2021 द्वारा SEIAA से जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 1431 दिनांक 22.10.2014 में संशोधन जारी किया गया है:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति संशोधन पत्र में त्रुटिवश तमोरिया लाईमस्टोन के स्थान पर भदूरा लाईमस्टोन अंकित हो गया है जिसे संशोधित करने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति संशोधन पत्र क्र. 1150 दिनांक 10.06.2021 में उल्लेखित भदूरा लाईमस्टोन ग्राम भदूरा के स्थान पर तमोरिया लाईमस्टोन ग्राम तमोरिया पठन किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


अतः पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति संशोधन पत्र में उल्लेखित भदूरा लाईमस्टोन ग्राम भदूरा के स्थान पर तमोरिया लाईमस्टोन ग्राम तमोरिया पठन किया जाये एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. /SEIAA/2023 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सतना (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला सतना (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला सतना (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री